

—एक सौ चौदह—

उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या: क0नि0-5-1679 / 11-2010-500(11) / 2010

लखनऊ, दिनांक 25 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उन भू-स्वामियों जिनकी भूमि अर्जित की गयी थी या अर्जनाधीन है, के पक्ष में निष्पादित पट्टा लिखत पर 1899 के उक्त अधिनियम की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट

(दुर्गा शंकर मिश्र),

प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN

KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

THE Governor is pleased or order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.5-1679/11-2010-500 (11)/2010 dated, April 25, 2010 for general information.

Notification

No. K.N.5-1679/11-2010-500 (11)/2010

Lucknow, Dated April 25, 2010

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, the Governor with is pleased to remit with effect from date of notification the duty chargeable under Article 35 of Schedule I-B of the said Act of 1899 on Instruments of lease of land executed by Noida, Greater Noida, Yamuna Expressway Industrial Development Authority in favour of a land owner from whom the land was acquired or is under the process to be acquired.

By order,

Sd/-

(Durga Shankar Mishar),

Pramukh Sachiv.